महिलाएं, समाज और मस्ज़िद

बुरहानुद्दीन शकरूवाला

पिछले दिनों केरल और लखनऊ में कुछ स्थानों पर महिलाओं ने मस्जिदों में पुरूषों के साथ आकर नमाज़ अदा की। अब तक मस्जिदों में उनके प्रवेश पर पाबंदी थी। जमात में आकर नमाज़ पढ़ने के इस फैसले का विरोध भी हुआ है, पर अभी तो महिलाएं इस नए हक की रक्षा में मैदान में उतर आई हैं। केरल से श्री बुरहानुद्दीन शकरूवाला की रिपोर्ट इस प्रसंग में नया प्रकाश डालती है।

केरल की मुस्लिम औरतें उन उलेमाओं के खिलाफ मैदान में उतर आई हैं, जो इनके मस्जिद में नमाज अदा करने के खिलाफ हैं। ये औरतें इसको अपना इस्लामी और मजहबी हक करार देती हैं। आश्चर्य की बात यह है कि तिरुवनंतपुरम में कट्टरपंथी मुस्लिम नौजवानों ने पलायम मस्जिद तक मार्च कर मस्जिद के इमाम पी.के.के. अहमद कटी के इस फैसले का विरोध किया कि औरतें भी नमाज जमात से मस्जिद में अदा कर सकती हैं। इन दिनों केरल में मस्जिदों में महिलाओं की नमाज जायज़ है या नाजायज इस विषय पर बहस चल पड़ी है। केरल के आलीम दीन ने मस्जिद में जाकर महिलाओं को नमाज अदा करने की इजाजत देकर पूरे देश, विशेषकर केरल में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। इस बहस में मुसलमान और मुस्लिम उलेमा दो गुटों में बंट गए हैं।

करून औला के तवारिख के मुताबिक औरतें मस्जिद में आकर नमाज अदा किया करती थीं। पहली सफ (कतार) में मर्द, दूसरी में बच्चे और बच्चों के पीछे औरतें नमाज अदा करती थीं। शरीयते इस्लाम की रूह से औरतें मस्जिद में नमाज अदा कर सकती हैं, मगर भारत में मस्जिदों में सिर्फ पुरुष ही नमाज अदा करते हैं। महिलाएं घरों में ही नमाज पढ़ती हैं।

भेदभाव क्यों?

इधर अनेक मुस्लिम देशों में स्त्रियां मस्जिदों में नमाज अदा करती हैं। इन मस्जिदों में महिलाओं के नमाज पढ़ने की व्यवस्था अलग से होती है। वैसे हमारे देश में भी दाऊदी बोहरा समाज की महिलाएं मस्जिदों में नमाज अदा करती हैं। उर्दू 'नई दुनिया' के संवाददाता एम. साजिद ने

इस विषय पर दिल्ली के विभिन्न मुस्लिम उलेमाओं के विचार लिए। जामा मस्जिद फतेहपुरी के नायब शाही इमाम मौलाना मोअज्जम अहमद ने कहा कि मस्जिदों में औरतों का नमाज अदा करने जाना तो जायज है, मगर जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है यहां इसका कोई रिवाज नहीं रहा है। यहां की मस्जिदों में औरतों के नमाज की कोई व्यवस्था नहीं है। करून औला में तो हर नमाजी कामकाज छोड़कर मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था और नमाज खड़ी होने तक तमाम मर्द नमाजी आगे जमा हो जाते थे। इनके बाद बच्चे और फिर सबसे आखिरी में औरतें खड़ी होती थीं। इस तरह उस समय कोई खलल की सूरत बाकी नहीं रहती थी मगर इस जमाने में, विशेषकर हिंदुस्तानी समाज में, वह माहौल पैदा करना नामुमकिन है। यहां अक्सर मर्द नमाजी उस वक्त आते हैं, जब नमाज खड़ी हो जाती है, एक दो रक्आत हो जाती है या पूरी नमाज समाप्ति के करीब होती है। मौलाना की राय है कि हिंदुस्तान में औरतों का मस्जिद में आकर जमात से नमाज अदा करना समाजी ऐतबार से मुनासिब नहीं है।

इदारा अमवार मस्जिद के सरबराह मौलाना अब्दुल्ला तारिक इस सिलसिले में कहते हैं कि नबी (स.स.) के इरशादात से औरतों के लिए मस्जिद की नमाज जमात से शिरकत की अनुमति तो है मगर हदिस में यह भी दर्ज है कि औरतों के लिए मस्जिद के मुकाबले घर ही बेहतर है। कुल हिंद तजीम-आईमा मस्जिद के सदर मौलाना जमिल अहमद ईल्यासी के मुताबिक हिंदुस्तान में ऐसा कोई रिवाज नहीं है। उन्होंने महिलाओं के समर्थकों से पूछा कि आखिर वह नजर, माहौल व नीयत कहां से आएगी, जो खानाए कावा में होती है।

संघर्ष का ऐलान

बहरहाल केरल की मुस्लिम औरतें उन उलेमाओं के खिलाफ मैदान में उतर आई हैं, जो इनके मस्जिद में नमाज अदा करने के खिलाफ हैं। ये औरतें इसको अपना इस्लामी और मजहबी हक करार देती हैं। आश्चर्य की बात यह है कि तिरुवनंतपुरम में कट्टरपंथी मुस्लिम नौजवानों ने पलायम मस्जिद तक मार्च कर मस्जिद के इमाम पी.के.के. अहमद कटी के इस फैसले का विरोध किया कि महिलाएं भी नमाज जमात से मस्जिद में अदा कर सकती हैं। पलायम मस्जिद के इमाम अहमद कटी ने अपने फैसले में पैगंबरे इस्लाम की जानिब से दी गई इजाजत का हवाला दिया है और कहा है कि मक्का और मदीना में औरतें नमाज जमात से मस्जिदों में अदा करती हैं। अनेक अन्य खाड़ी देशों में भी ऐसा ही होता है। मौलना अहमद कटी के इस फैसले से कट्टरपंथी औरतें भी नाराज हैं, जबकि तरक्की पसंद औरतें इसके समर्थन में मैदान में उतर आई हैं तथा उन्होंने इस मामले को अपने हाथ

में लेने का फैसला कर लिया है।

मुस्लिम लीग महिला विंग तिरूवनंतपुरम की सदर और सामाजिक कार्यकर्ता सुश्री कमरून्निसा ने कहा है कि मस्जिद में नमाज पढ़ना हमारा इस्लामी हक है और इससे हमें मेहरूम रखना गैर इस्लामी कार्य है। करेल की एक घरेलू मुस्लिम का कहना है कि यह अजीब बात है कि औरतों को फिल्म और सर्कस देखने के लिए बाहर जाने की इजाजत है मगर मस्जिदों में जाने की नहीं।

मालापुरम की मशहूर वकील सुश्री के.पी. मरयामा कहती हैं कि इस सिलसिले में इस्लामिक विद्वान ही कोई बेहतर फैसला दे सकते है। इनका कहना है कि बेहतर यही होगा कि मुफ्तिए कराम पर इस समस्या का समाधान छोड़ दिया जाए। केरल के जस्टिस पी.के. शमसुद्दीन का कहना है कि यह मुस्लिम औरतों का बुनियादी हक है, इसलिए इस मुद्दे पर विवाद खड़ा करना गैर जरूरी है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति प्रो. वाहाऊद्दीन इसी राय के हामी हैं।

...दिल्ली के बहुत से उलेमाओं और मस्जिदों के इमामों की राय है कि अगर महिलाएं मस्जिद में आकर नमाज अदा करना चाहती हैं, तो पहले मस्जिदों का विस्तार करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में मस्जिदें छोटी हैं। इसके अलावा दीगर उलेमाओं की राय है कि औरतों को मस्जिदों में अवश्य नमाज अदा करना चाहिए। मगर पहले नमाज और माहौल को इतना पाकीजा बना दिया जाए कि औरत की 'हुरमत' सलामत रहे। □